

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 041 / 2020
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री सहीराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. सुभाष चन्द्र पुत्र श्री सहीराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. शान्ति देवी पत्नी श्री हेतराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. सन्तोष कुमार पुत्र श्री हेतराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) वादीगण



ब न अ म

1. मनफूलराम पुत्र श्री सहीराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर हाल चक 17 के.डी. ग्राम पं. 7 केएनडी, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. भागवन्ती देवी पत्नी श्री साहबराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर हाल चक 17 के.डी. ग्राम पं. 7 केएनडी, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. महावीर पुत्र श्री साहबराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर हाल चक 17 के.डी. ग्राम पं. 7 केएनडी, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. राजेन्द्र पुत्र श्री साहबराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर हाल चक 17 के.डी. ग्राम पं. 7 केएनडी, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. सन्दीप कुमार पुत्र श्री साहबराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर हाल चक 17 के.डी. ग्राम पं. 7 केएनडी, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री ऋषिपाल जोशी (वादीगण)
श्री विजय भाटी (प्रतिवादी 1 ता 5)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 6)

दिनांक 13.08.2021

-निर्णय-

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यों के अनुसार वादीगण चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 62/70 के मुख्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1 से 4, 6 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 6.072 है. नहरी कृशि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी संख्या 1 कृष्णचन्द्र पुत्र सहीराम के नाम 152/759 हिस्सा यानि 1.216 है., वादी संख्या 2 सुभाश चन्द्र पुत्र सहीराम के नाम 152/759 हिस्सा यानि 1.216 है., वादीया संख्या 3 शान्ति देवी पत्नी हेतराम के नाम 14/253 हिस्सा यानि 0.336 है., वादी संख्या 4 सन्तोष

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कुमार पुत्र हेतराम के नाम 291/2024 हिस्सा यानि 0.873 है। कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 मनफूलराम के नाम 405/2024 हिस्सा यानि 1.215 है, प्रतिवादी संख्या 2 भागवन्ती देवी के नाम 38/759 हिस्सा यानि 0.304 है., प्रतिवादी संख्या 3 महावीर के नाम 0.304 है. प्रतिवादी संख्या 4 राजेन्द्र के नाम 38/759 हिस्सा यानि 0.304 है., प्रतिवादी संख्या 5 सन्दीप कुमार के नाम 38/759 हिस्सा यानि 0.304 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 संयुक्त खाता संख्या 37 के सहकाशकारान है वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने झगड़ा फसाद से बचने तथा काशत में सहूलियत को मध्य नजर रखते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने चक 4 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 62/70 के सहकाशकारान है वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने झगड़ा फसाद से बचने तथा काशत में सहूलियत को मध्य नजर रखते हुए चक 4 एच बड़ा के खाता संख्या 62/70 के मुर्ब्बा नम्बर 33 की कुल 6.072 है. कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से निम्न प्रकार विभाजन किया हुआ है :-



कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुर्ब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 1, 2, 3, 4 (प्रत्येक में 0.253 है.), 6(0.203 है. [उत्तरी हिस्सा कि.न. 5 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.215 है. नहरी, सुभाष चन्द्र पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुर्ब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 6 (0.050 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 15 की बट से चिपता]) 7, 8, 9, 10 (प्रत्येक में 0.253 है.), 15(0.152 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 6 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.214 है. नहरी शान्ति देवी पत्नी श्री हेतराम, सन्तोष कुमार पुत्र हेतराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर 1.214 है. हर दो बःहिस्सा बराबर चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुर्ब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 21, 22, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.202 है. [दक्षिणी हिस्सा बट से चिपता]) कुल भूमि 1.214 है. नहरी मनफूलराम पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुर्ब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 11, 12, 13 14 (प्रत्येक में 0.253 है.), 15(0.101 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 16 की बट से चिपता]), 16(0.102 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 15 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.215 है. नहरी भागवन्ती देवी पत्नी साहबराम, महावीर, राजेन्द्र, सन्दीप कुमार पिसरान साहबराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) 1.214 है. हर चार बःहिस्सा बराबर चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुर्ब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16(0.151 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 25 की बट से चिपता]) 17, 18 19, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.051 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 16 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.214 है. नहरी उपरोक्त वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य पारस्परिक सहमति से हुए बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काशत है। इस मौखिक बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड आदि की सुविधाओ से भी वंचित हो रहे है। इसके अलावा प्रतिवादीगण संयुक्त खाता की भूमि का आवासीय उपयोग उपभोग करने की फिराक में है । वादीगण ने पारस्परिक सहमति से हुए मौखिक विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतू प्रतिवादीगण को दिनांक 07/08/2020 को कहा तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते हुए इन्कार कर दिया, बस यही बिनाय मुख्वास्मत है। प्रतिवादी संख्या 6 सम्बन्धित भूमि का लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि चक 4 एच बड़ा उपतहसील हिन्दुमलकोट में स्थित है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

(क) कि चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 62/70 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1 से 4, 6 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 6.072 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन घोषित किया जावे।



दिनांक 03.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्यों के अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 1 जिस प्रकार से वर्णित की गई है से कोई विरोध नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवरण मुताबिक जमाबन्दी स्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित पारस्परिक सहमति से किया गया विभाजन स्वीकार है। उतरदाता संख्या 1 मनफुलराम चक 4 एच बड़ा के मुरब्बा नं० 33 के किला नम्बर 11, 12, 13, 14 (प्रत्येक में 0.253 है.), 15(0.101 है. { दक्षिणी हिस्सा किला नं० 16 की बट से चिपता }), 16(0.102 है० { उतरी हिस्सा किला नम्बर 15 की बट से चिपता }) कुल 1.215 है० नहरी कृषि भूमि पर काबिज काश्त है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को अच्छी राशि खर्च करके उपजाऊ बनाया है। उक्त किलाजात को अपने नाम करवाने हेतू उतरदाता द्वारा काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया है। वादीगण संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की इस मद में वर्णित अनुसार कृषि भूमि घोषित की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 01 को कोई एतराज नहीं है तथा पूर्णतः सहमत है। वाद पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित की गई है। इस सीमा तक स्वीकार है कि सयुक्त खाता के खातेदारान का किला विभाजन करने मे कोई विधिक बाधा नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित की गई है कि प्रत्येक सहकाश्तकार अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज कास्त है। भूमि का विभाजन किया हुआ है। वाद पत्र की मद संख्या कानुनी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के मध्य चक 4 एच बड़ा के सयुक्त खाता 62 की कृषि भूमि का विभाजन करने से कोई विरोध नहीं है।

काउन्टर क्लेम

प्रतिवादी संख्या 01 मनफुलराम चक 4 एच बड़ा के मुरब्बा न० 33 के किला न० 11, 12, 13, 14 (प्रत्येक में 0.253 है.), 15(0.101 है. {दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 16 की बट से चिपता}), 16(0.102 है. {उतरी हिस्सा किला नम्बर 15 की बट से चिपता}) कुल भूमि 1.215 है. नहरी कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। अतः जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो का ध्यान मे रखते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के मध्य वाद पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित अनुसार बंटवारा घोषित किया जावे तथा उपरोक्त वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो की भूमि का बंटवारा करते हुए मन प्रतिवादी संख्या 01 मनफुलराम की चक 4 एच बड़ा के मुरब्बा न० 33 के किला न० 11, 12, 13, 14 (प्रत्येक में 0.253 है.), 15(0.101 है. {दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 16 की बट से चिपता}), 16(0.102 है. {उतरी हिस्सा किला नम्बर 15 की बट से चिपता}) कुल भूमि 1.215 है. नहरी कृषि भूमि की घोषणा करते हुए बटवारा किया जाकर डिक्री जारी की जावे।

दिनांक 3.11 2020 को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यो के अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 01 का कोई विरोध नहीं है। मद संख्या 02 मुताबिक जमाबन्दी स्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 03 मे वर्णित पारस्परिक सहमति से किया गया विभाजन स्वीकार है। मन उतरदाता संख्या 02 से 05 चक 4 एच बड़ा के मु० न० 33 के किला न० 33 किला नम्बर 16(0.151 है. {दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 25 की बट से चिपता}) 17, 18 19, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.051 है. {उतरी हिस्सा किला नम्बर 16 की बट से चिपता}) कुल भूमि 1.214 है. नहरी कृषि भूमि पर बहिस्सा बराबर काबिज काश्त है। वादीगण संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की इस मद मे वर्णित अनुसार कृषि भूमि घोषित की जाती है तो हम उतरदातागण को कोई एतराज नहीं है। तथा पुर्णतः सहमत है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के मध्य चक 4 एच बड़ा के सयुक्त खाता 62 की कृषि भूमि का विभाजन करने से कोई विरोध नहीं है।

काउन्टर क्लेम

प्रतिवादी संख्या 2 से 5 चक 4 एच बड़ा के मु0 न0 33 के किला न0 33 किला नम्बर 16(0.151 है.[दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 25 की बट से चिपता]) 17, 18 19, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.051 है.[उतरी हिस्सा किला नम्बर 16 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.214 है. नहरी कृषि भूमि पर बहिस्सा बराबर घोषणा करते हुए डिक्री जारी की जावे।



तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ।


बहुस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2070-2073 ग्राम पचायत 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली भू0 अ0 नि0 शिवपुर खाता संख्या 62/70 पेश की। वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति के आधार पर वाद वादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 से 5 स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है।

वादीगण संख्या 01 कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 1, 2, 3, 4 (प्रत्येक में 0.253 है.), 6(0.203 है.[उतरी हिस्सा कि.न. 5 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.215 है. नहरी, वादीगण संख्या 02 सुभाष चन्द्र पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 6 (0.050 है.[दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 15 की बट से चिपता]) 7, 8, 9, 10 (प्रत्येक में 0.253 है.), 15(0.152 है. [उतरी हिस्सा किला नम्बर 6 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.214 है. नहरी वादीगण संख्या 03 शान्ति देवी पत्नी श्री हेतराम, वादीगण संख्या 04 सन्तोष कुमार पुत्र हेतराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर 1.214 है. हर दो ब:हिस्सा बराबर चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 21, 22, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.202 है. [दक्षिणी हिस्सा बट से चिपता]) कुल भूमि 1.214 है. नहरी प्रतिवादीगण संख्या 01 मनफुलराम पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 11, 12, 13 14 (प्रत्येक में 0.253 है.), 15(0.101 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 16 की बट से चिपता]), 16(0.102 है. [उतरी हिस्सा किला नम्बर 15 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.215 है. नहरी प्रतिवादीगण संख्या 02 भागवन्ती देवी पत्नी साहबराम, प्रतिवादीगण संख्या 03 महावीर, प्रतिवादीगण संख्या 04 राजेन्द्र, प्रतिवादीगण संख्या 05 सन्दीप कुमार पिसरान साहबराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) 1.214 है. हर चार ब:हिस्सा बराबर चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16(0.151 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 25 की बट से चिपता]) 17, 18 19, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.051 है.[उतरी हिस्सा किला नम्बर 16 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.214 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि का उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैर मुमकीन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।


सहायक कलेक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।



निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13.08.2021 को जारी किया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
13/8/21

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.एस.)
सहायक कोर्ट (फागवाड़ा नगर) एवं
सहायक कोर्ट (फागवाड़ा नगर)
(फागवाड़ा नगर)

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 041 / 2020
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री सहीराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. सुभाष चन्द्र पुत्र श्री सहीराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. शान्ति देवी पत्नी श्री हेतराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. सन्तोष कुमार पुत्र श्री हेतराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) वादीगण



ब न अ म

1. सन्तूलराम पुत्र श्री सहीराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर हाल चक 17 के.डी. ग्राम पं. 7 केएनडी, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. भागवन्ती देवी पत्नी श्री साहबराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर हाल चक 17 के.डी. ग्राम पं. 7 केएनडी, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. महावीर पुत्र श्री साहबराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर हाल चक 17 के.डी. ग्राम पं. 7 केएनडी, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. राजेन्द्र पुत्र श्री साहबराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर हाल चक 17 के.डी. ग्राम पं. 7 केएनडी, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. सन्दीप कुमार पुत्र श्री साहबराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर हाल चक 17 के.डी. ग्राम पं. 7 केएनडी, रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री ऋषिपाल जोशी
श्री विजय भाटी
राज पैरोकार

(वादीगण)
(प्रतिवादी 1 ता 5)
(प्रतिवादी 6)

दिनांक 19.08.2021

वादपत्र संख्या 041/2020
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अधिवक्ता श्री विजय भाटी एवं पैरोकार राज प्रतिवादी- 6 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि -


वादीगण संख्या 01 कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 1, 2, 3, 4 (प्रत्येक में 0.253 है.), 6(0.203 है. [उत्तरी हिस्सा कि.न. 5 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.215 है. नहरी, वादीगण संख्या 02 सुभाष चन्द्र पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 6 (0.050 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 15 की बट से चिपता]) 7, 8, 9, 10 (प्रत्येक में 0.253 है.), 15(0.152 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 6 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.214 है. नहरी वादीगण संख्या 03 शान्ति देवी पत्नी श्री हेताराम, वादीगण संख्या 04 सन्तोष कुमार पुत्र हेतराम कौम बिश्नोई निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर 1.214 है. हर दो ब:हिस्सा बराबर चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 21, 22, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.202 है. [दक्षिणी हिस्सा बट से चिपता]) कुल भूमि 1.214 है. नहरी प्रतिवादीगण संख्या 01 मनफुलराम पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 11, 12, 13 14 (प्रत्येक में 0.253 है.), 15(0.101 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 16 की बट से चिपता]), 16(0.102 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 15 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.215 है. नहरी प्रतिवादीगण संख्या 02 भागवन्ती देवी पत्नी साहबराम, प्रतिवादीगण संख्या 03 महावीर, प्रतिवादीगण संख्या 04 राजेन्द्र, प्रतिवादीगण संख्या 05 सन्दीप कुमार पिसरान साहबराम जाति बिश्नोई साकिन रोहिड़ावाली तह. श्रीगंगानगर (राज0) 1.214 है. हर चार ब:हिस्सा बराबर चक 4 एच बड़ा खाता नम्बर 62 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16(0.151 है. [दक्षिणी हिस्सा किला नम्बर 25 की बट से चिपता]) 17, 18 19, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.051 है. [उत्तरी हिस्सा किला नम्बर 16 की बट से चिपता]) कुल भूमि 1.214 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।
रूपये ...शून्यवास्ते...शून्य.खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक .
शून्यआज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें
मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19 अगस्त, 2021 को जारी की गयी।



उम्मेद सिंह रतनू
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00




 उम्मेद सिंह रतनू
 (आर.ए.एस.) एवं
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगा नगर